क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONEBHADRA

संदर्भ सं0 दिनांक
Ref. No.: 3264/इण्डियन ऑयल/NOC/2013 Date: 12/09/2013

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–मिर्जापुर(उ0प्र0)

विषयः– अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त विषयक आवेदन संख्या–665(1–6)/आ0लि0–न्यू रिटेल आउटलेट दिनांक 23–05–2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रेषित सूचनानुसार मिर्जापुर के ग्राम बघौड़ा, परगना–सक्तेशगढ, तहसील–मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर के आ0 नं0 495 में इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 के न्यू रिटेल आउटलेट डीजल/पट्रोल के भण्डारण एवं वितरण का कार्य किया जायेगा। आप द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का वाँछित विवरण प्रेषित किया गया है तथा वर्तमान में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखानुसार कोई जनशिकायत प्राप्त नहीं है न ही उद्योग के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही की जा रही है। उद्योग लघु श्रेणी का है तथा प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची में सम्मिलित नहीं है। अतएव बोर्ड मुख्यालय के निर्देशानुसार आपके आवेदन की प्राप्ति निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकार की जाती है जो कि निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत की जाती है।

1. डीजल एव पेट्रोल का भण्डारण एवं वितरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
2. डीजल एव पेट्रोल के भण्डारण/वितरण प्रक्रिया से कोई उत्प्रवाह जनित नहीं किया जायेगा तथा घरेलू उत्प्रवाह का शुद्धीकरण सेप्टिक टैंक/सोकपिट द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
3. डीजल एव पेट्रोल के भण्डारण एवं वितरण के समय सम्भावित दुर्घटना से निपटने के लिये अग्निशमन एवं इक्सप्लोसिव विभाग द्वारा प्राप्त लाइसेंस में दिये गये शर्तो जैसे–जल भण्डारण, फायर हाइड्रेन्ट मशीनें, बालू एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तथा आपात स्थिति में समीप स्थित अस्पताल/नर्सिंग होम से एम्बुलेन्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
4. बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिये गये समस्त आदेश/निर्देश व मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा। निर्धारित मानकों का उल्लंघन करना जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
5. बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने पर जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. भू–प्रयोग प्रमाण–पत्र एक माह के अन्दर प्रेषित करें।
7. रिटेल आउटलेट के चारों तरफ कम से कम तीन मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाय।

भवदीय,

(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री सरीश सिंह, प्रोपराटर– मे0 इण्डियन ऑयल कार्पो0लि0, जनपद–मिर्जापुर(उ0प्र0)।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–9), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय- म0नं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज-सोनभद्र-231216
फोन : 05444-222464
फैक्स : 05444-222464

offi. H.N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonebhadra-231216
Phone : 05444-222464
Fax : 05444-222464